न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 119/2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सुखवीर पुत्र बेगाराम, जाति जाट निवासी लक्ष्मण का बास पोस्ट कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

1 सवाईसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.07.2014
पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सीकर उनवानी सवाईसिंह बनाम सुखवीर
आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 108/2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री महावीर प्रसाद खीचड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–28.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा आयोजन संख्या 108/2011 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 186,187 वाके ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट सदभावी केता है अपीलांट ने 20.06.2011 को पंजीकृत विकय पत्र से भूमि खरीद कर खातेदार काश्तकार काबिज है रेस्पोडेंट

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भंवरसिंह का उत्तराधिकारी नही है, वारिस नही है भंवर सिंह के वारिस अन्य है विवादित लिखावट में खसरा नम्बर अंकित नही है लगान की रसीद पेश नही की गई है। केवल मात्र दो तीन साल की गिरदावरी पेश की है सजरा खानदान के अनुसार गोदनामे के विरूद्व वाद सिविल न्यायालय में खारिज हो चुका है अपीलांट खातेदार काश्तकार है जिसे पाबंध किया गया है जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार की जायें अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2008 पेज 1036, आर.एल. डब्ल्यू 2009 (1) पेज 376 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि जागीर पुन ग्रहण के उपरान्त भैरूराम के नाम दर्ज हुई भैरूराम ने लिखावट की खसरा गिरदावरी से भंवर सिंह का कब्जा काश्त साबित है भैरूसिंह के जीवनकाल में दावा कर दिया था। भैरूसिंह ने वाद कथन को अस्वीकार नही किया भैरूसिंह दो वर्ष पहले मरा है लिखावट के समय के सभी गवाह मर चुके है उनके वारिसों ने हस्ताक्षरो को प्रामणित किया है। विकय पत्र निरस्त करवाने का दावा लम्बित है। लिखावट 30 वर्ष पुरानी है जिसके सत्य होने की अवधारणा की जाती है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2009(1) आर.जे. पेज 339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट विवादित भूमि के सन्दर्भ में प्रार्थी के पिता की लिखावट दिनाक 16.07.1954 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2011, 2012 व 2013 के आधार पर आवेदन लेकर आया है। जबकि अपीलांट दिनांक 20.06.2011 के रजिस्टर्डड विकय पत्र,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नातान्तकरण संख्या 769 दिनांक 05.07.2011 के आधार पर आवेदन खारिज करने का कथन करके आये है।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट को ताफैसला वाद प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नही करने व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकारों का निर्णय मूल वाद में होना है उभयपक्ष के मध्य वाद विवाद नही बढ़े इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है किन्तु अधिकारों की घोषणा के बिना किसी एक पक्ष का कब्जा मानते हुये अपीलांट को इसमें दखल नही करने के लिए पाबंद किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंध किया जाता है। इसी अनुरूप अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर